न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 01 / 2020

1 सोनी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी फूला।
2 रामकरण उम्र 45 वर्ष पुत्र फूला।
3 सागर उम्र 40 वर्ष पुत्र फूला।
4 महिपाल उम्र 35 वर्ष पुत्र फूला समस्त जाति जाट निवासीगण फतेहपुरा भोमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
2 पटवारी पटवार हल्का गोकुल का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 गिरदावर हल्का खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2019
मुकदमा नम्बर 47 / 2019 बउनवानी सोनी देवी आदि
बनाम भूमिधारी वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 47/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा वाद के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 282 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा ग्राम फतेहपुरा भोमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर के नये खसरा नम्बर 283,288 जिनका पुराने रकबा के अनुसार 5.7750 हैक्टेयर रकबा के बजाय नये खसरा नम्बर का रकबा 4.56 हैक्टेयर दर्ज करते हुए वादीगण की भूमि का रकबा 1.2150 हैक्टेयर कम दर्ज कर दिया व नया नक्शा में भी माप सीमाये गलत अंकित कर दी तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 282 के सटाकर पुराना खसरा नम्बर 304 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा जो हैक्टेयर में 4.35 हैक्टेयर बनता है के बजाय खसरा नम्बर 304 के नये खसरा नम्बर 217,192,313 कुल रकबा 6.90 हैक्टेयर बनाकर 2.55 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज कर दी गयी व नक्शा भी गलत बना दिया गया व खातेदारी भी प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गयी जबकि वादीगण वक्त बुर्जुगान से कुल रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए पुराने खसरा नम्बर 304 से बने नये खसरा नम्बर में से 1.2150 हैक्टेयर भूमि की घोषणा वादीगण के नाम करने व पुराने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

नक्शा के मुताबिक नया नक्शा दुरूस्त करने व वादीगण को पुराने कब्जे काश्त व पुराने रकबे की हद तक वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने के लिए प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित फरमाया जावें। उक्त आशय के वाद में तहसीलदार खण्डेला द्वारा दिनांक 16.12.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये तथा बिना पत्रावली बहस में हुए ही दिनांक 27.12.2019 को वादीगण/अपीलांट की बहस सुनी हुई होना लिखकर इसी दिन को वादीगण का वाद काज ऑफ एक्शन उत्पन्न नही होने के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण द्वारा अपीलांट के वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया गया है कि वादीगण/अपीलांट की भूमि का रकबा नवीन सैटलमेंट के समय 0.83 हैक्टेयर कम किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट का वाद बुर्जुगान के कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा नम्बर 282 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर में कम किए हुए रकबे 1.2150 हैक्टेयर के बाबत उदघोषणा का था जिस तथ्य व बिन्दु को तैयार किए बिना तथा दावे में बिना तनकीयात कायत किये बिना कोई साक्ष्य लिए केवल मात्र सरसरी तौर पर खारिज करके गंभीर भूल की गयी है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह मान्य किया है कि वादीगण की भूमि सैटलमेन्ट के दौरान 0.83 हैक्टेयर रकबे की कम हुई है जो स्पष्ट करता है कि वादीगण का दावा 0.83 हैक्टेयर भूमि तक डिक्री होने योग्य था। उसके बावजूद भी विधि के प्रतिकूल जाकर वादीगण का दावा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की गयी है। अपील स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद केवल मात्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 27027/2018 में पारित निर्णय दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

08.01.2019 की पालना रूकवाने हेतु प्रस्तुत किया था। अपीलांट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट को कोई वादकरण प्राप्त नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 192,313,217 में रकबा बढ़ा हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद केवल मात्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 27027/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2019 की पालना रूकवाने हेतु प्रस्तुत किया था। अपीलांट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट को कोई वादकरण प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर